

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक- 1961 / 14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021), दिनांक मुजफ्फरनगर, 09-12-2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

विषय:-

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पटरी कि०मी० चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/ Road/121197/2021) के संबंध में ।

सन्दर्भ:-

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-8वी०/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/७३९ दिनांक-०६.१२.२०२२ एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का पत्रांक 2155/13-1 दिनांक 09.12.2022 ।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पटरी कि०मी० चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-०६.१२.२०२२ कतिपय अभिलेख/सूचनाओं की अपेक्षा की गयी थी जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-1908/14-1 दिनांक-०७.१२.२०२२ द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर से वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक-०९.१२.२०२२ के माध्यम से उक्त सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नानुसार है-

क्र०सं०	आपत्ति / वांछित सूचना	निराकरण/आवश्यक अभिलेख
i	Revised Kml file, Geo-referenced map and SOI toposheet of proposed CA Inad need to be uploaded on PARIVESH portal	संशोधित के०एम०एल० फाईल, जियो रेफरेंस मैप एवं एस०ओ०आई० टोपोशीट परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
ii	DFO needs to submit the details with respect to- 1. Previous plantation in Pawa and Shahpur sites viz plantation was carried out under which scheme. 2. Site inspection report of the committee which declared it as a failure plantation.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के संदर्भित पत्र दिनांक-०९.१२.२०२२ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत क्षतिपूर्क वनीकरण स्थल पवा एवं शाहपुर वृक्षारोपण नरेगा योजना के अन्तर्गत क्रमशः वर्ष-२००८-०९ एवं २०१०-११ में कराये गये थे। (संलग्नक संख्या-१) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के संदर्भित पत्र दिनांक-०९.१२.२०२२ द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी तालवेहट की रिपोर्ट एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर की रिपोर्ट दिनांक-०४.११.२०२२ के अनुसार उक्त दोनों वन ब्लाक स्थलों को असफल मानते हुए उक्त स्थलों को वृक्षारोपण हेतु पुनः प्रस्तावित के लिए संस्तुति की गयी है। (संलग्नक संख्या-२)
	3. The area is included under which working circle in the working plan.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के संदर्भित पत्र दिनांक-०९.१२.२०२२ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत उक्त दोनों प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल वृक्षारोपण कार्ययोजना (२००७-२०१६) के अन्तर्गत वन खण्ड वृक्षारोपण वृत्त में सम्मिलित है। (संलग्नक संख्या-१)

अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-०६.१२.२०२२ के क्रम में सूचना / आवश्यक अभिलेख ०४ प्रतियों आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त को नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(कन्हैया प्रतेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक-1961 / 14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021) दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2-मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ ।
- 3-वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ ।
- 4-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद ।
- 5-अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ ।
- 6-अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-१, मुजफ्फरनगर ।

(कन्हैया प्रतेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mefcc@gov.in, goimofboiko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/739

दिनांक: 06.12.2022.

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनैज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 1447/11-सी-FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक 20-10-2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण को दिनांक 24.11.2022 को आहूत क्षेत्रीय सषक्त समिति (REC) के समक्ष विचारार्थ REC Agenda Item No. 73.4 (U.P) प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय सषक्त समिति (REC) द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी/सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

- Revised .kml file, Geo-referenced map and SOI toposheet of proposed CA land need to be uploaded on PARIVESH portal.
- DFO needs to submit the details with respect to-
 - Previous plantation in Pawa and Shahpur sites viz plantation was carried out under which scheme.
 - Site inspection report of the committee which declared it as a failure plantation.
 - The area is included under which working circle in the working plan.

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर

पत्रांक:- 2155 /13-1 ललितपुर

दिनांक:- 09 दिसम्बर/2022

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पटरी कि०मी० सं०-51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव संख्या- (FP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/221/2021/ एफ०सी०/739, दिनांक 08.12.2022 एवं आपका पत्रांक- 1908/14-1, (FP/UP/Road/121197/2021), दिनांक 07.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है :-

आपत्ति	निराकरण
I- Revised Kml file, Geo Referenced map and SOI toposheet of proposed CA land need to be uploaded on PARIVESH PORTAL	इस कार्यालय के पत्र सं०-1266/13-1, दिनांक 11.10.2022 द्वारा आपको पूर्व में संशोधित Kml file, Geo Referenced map and SOI toposheet प्रेषित की जा चुकी है। अतः परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही आप अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।
II-1 Previous plantation in Pawa and Shahpur sites viz plantation was carried out under which scheme.	पवा एवं शाहपुर वृक्षारोपण नरेगा योजना के अन्तर्गत क्रमशः वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 में कराये गये थे।
II-2 Site inspection report of committee which declared it as a failure plantation.	क्षेत्रीय वन अधिकारी तालवेहट की रिपोर्ट दिनांक 30.09.2022 एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर की जांच आख्या के आधार पर उक्त दोनों स्थलों को असफल मानते हुये उक्त स्थलों को वृक्षारोपण हेतु पुनः प्रस्तावित के लिए संस्तुति किया गया है (संलग्न है)।
II-3 The area is included under which working circle in working plan.	उक्त दोनों वृक्षारोपण, कार्य योजना (2007-2016) के अन्तर्गत वन खण्ड वृक्षारोपण वृत्त में सम्मिलित है।

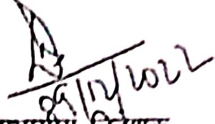
महोदय,
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

(कन्हैया मंडल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक :- /सम दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोग, उ०प्र०, झांसी।
3. वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
4. वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
5. वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (विल्डिंग) लोक निर्माण विभाग


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

८७
1
(कन्हैया बटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर सा.वा.प्रभाग, ललितपुर
पत्रांक- 211 /26-1 ललितपुर दिनांक 04 नवम्बर, 2022
सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर।

विषय:- तालबेहट रेंज के अन्तर्गत पवा एवं शाहपुर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की जांच के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- क्षेत्रीय वन अधिकारी, तालबेहट के पत्रांक-85/26-1 दिनांक 30.09.2022।

महोदया,
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थलों एवं रेंज और प्रभाग के अभिलेखों की जांच की गयी, जिसकी आख्या निम्नवत् है :-

- 1- स्थलीय निरीक्षण करने पर देखा गया है कि उपरोक्त वन ब्लॉको के अन्तर्गत प्रकृति पौधे एवं झाड़ियों के मध्य पूर्व वृक्षारोपण के लगभग 10 प्रतिशत पौधे दिखायी देते हैं।
- 2- उक्त वृक्षारोपण की रोपावनी पंजी में किसी भी अधिकारी की कोई टिप्पणी अंकित नहीं पायी गयी।
- 3- शाहपुर एवं पवा वृक्षारोपण क्रमशः 12 एवं 14 साल पूर्व के हैं, अतः असफलता के लिये कर्मचारियों का उत्तरदायित्व स्थापित कर पाना सम्भव नहीं है।
- 4- अभिलेखीय रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर पाया गया कि दोनो रोपावनियों के प्रथम अनुरक्षण वर्ष में 80 प्रतिशत एवं द्वितीय अनुरक्षण वर्ष में 77 प्रतिशत सफलता का उल्लेख है।
- 5- वर्तमान समय में जो भी अभिलेख है उससे यह स्थापित कर पाना कि उक्त वृक्षारोपण किन कारणों से असफल हुये हैं सम्भव नहीं है।

उपरोक्त के आधार पर उक्त स्थानों को वृक्षारोपण हेतु पुनः प्रस्तावित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीया

(डॉ० शिरीन)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर

पत्रांक अ /सम दिनांक ।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय वन अधिकारी, तालबेहट को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० शिरीन)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर

८५

(कमलेश पटेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर